an>

Title: The Minister of State in the Ministry of Parliamentary Affairs laid a statement regarding Government Business for the remaining part of the 10th session of 16th Lok Sabha and submissions made by Members.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.S. AHLUWALIA): Madam, I beg to make a statement regarding Government Business for the remaining part of the session.

1. Consideration of any items of Government Business carried over from today's order paper consisting of:-

   (a) The Maternity Benefit (Amendment) Bill, 2016 as passed by Rajya Sabha

   (b) The Admiralty (Jurisdiction and Settlement of Maritime Claims) Bill, 2016, and

   The Mental Healthcare Bill, 2016, as passed by Rajya Sabha.

2. Consideration and passing of the Surrogacy (Regulation) Bill, 2016.

3. Consideration and passing of the following Bills after they are passed by Rajya Sabha:-

   (a) The Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency Syndrome (Prevention and Control) Bill, 2014.

   (b) The Rights of Persons with Disabilities Bill, 2014.

4. Consideration and agreeing to the amendments made by Rajya Sabha in the Enemy Property (Amendment and Validation) Bill, 2016 as passed by Lok Sabha and as reported by Select Committee of Rajya Sabha, after it is passed by Rajya Sabha – To replace an ordinance.

5. Consideration and passing of the National Institutes of Technology, Science Education and Research Bill, 2016.

...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Submissions will be laid on the Table of the House.

*__श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा)__ ः महोदया, अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित विषय को शामिल किया जाएः

1. गुजरात के एबीसीडी रेलवे स्टेशनों पर गाड़ियों को ठहराव रद्द कर दिए गए हैं। उन्हें पुनः कार्यान्वित किया जाए। मेहसाना जो जिला मुख्यालय जंक्शन रेलवे स्टेशन है उस पर सभी गाड़ियों का ठहराव दिया जाए।

2. सरकार की पुरानी रेल नीति है कि नेशनल कैपिटल दिल्ली को स्टेट कैपिटलों के साथ जोड़ना। गांधीनगर गुजरात की कोपरेटिव सिटी है इसके तहत गांधीनगर से दिल्ली तक राजधानी ट्रेन का प्रावधान किया जाए।

ओश्री हरिश्चन्द्र चव्हाण (दिंडोरी) महोदया, अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाएः

1. महाराष्ट्र जिले में 48 छोटे मोटे बंदरगाह है जिसमें दो बंदरगाह जवाहर लाल नेहरू एवं मुंबई बंदरगाह पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा सुरक्षा व्यवस्था की जाती है परंतु अन्य बंदरगाह पर तटरक्षकों, महाराष्ट्र मरीटाईम महामंडल एवं नौदल द्वारा की जाती है। इन छोटे मोटे बंदरगाहों पर सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं है जिसके कारण आतंकवादी कभी देश में प्रवेश कर सकते हैं। 26/11/2008 के बंब ब्लास्ट करने वाले आतंकवादी इन्हीं छोटे बंदरगाहों से भारत में घूसे थे और घटना को अंजाम दिया था। 441 लैंडिंग पाईट की पुलिस, नौदल और तटरक्षक दल उन्होंने खोज की गई एवं गुप्तचर एजेन्सी के माध्यम से यह सूचना मिली है कि इन बंदरगाहों पर सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देश में 128 पाईट ऐसे हैं जहां पर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है देश में सीसीटीवी एवं थर्मल कैमरा भी नहीं लगे हैं। सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध हे कि देश के इन बंदरगाहों पर सुरक्षा के ध्यान दिये जाये एवं सुरक्षा में लगी एजेन्सियों के बीच समन्वयकारी कार्य को सदन की अगले सप्ताह की कार्यवाही में शामिल किया जाये जिससे इन रास्तों से आतंकवादी देश में प्रवेश नहीं कर सके।

2. देश में 2003 के वित्तीय वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में अपने आवासों को मरम्मत कराने के लिए केन्द्र सरकार ने प्रति आवास 10 हजार रूपये की वित्तीय सहायता दिये जाने की स्कीम चालू की थी। यह स्कीम गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले के लिए थी। इस स्कीम से कई कच्चे आवास मे थोड़ा बहुत परिवर्तन करके आवास को कुछ सीमा तक सुविधाजनक बनाया गया। इस वित्तीय सहायता से कोई नया आवास निर्माण नहीं हुआ केवल पुराने आवासों में कुद बदलाव किया गया। अभी हाल ही में जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नई प्रधान मंत्री आवास /ग्रामीण/ लागू की है जिसमें 2020 तक सभी लोगों को आवास दिलाये जाना माननीय प्रधान मंत्री जी का सपना है। इस नई स्कीम में उन बी पी एल लोगों को लाभ नहीं दिया जा रहा है जिन्होंने 2003 में मरम्मत कराने के लिए वित्तीय सहायाता प्राप्त की थी। 2003 में जो आवास मरम्मत कराये गये थे वे सभी जर्जर हो गये क्योंकि मरम्मत मे जो धनराशि दी गई थी वे काफी कम थी। इस संबंध में मेरा आपसे अनुरोध है कि नई प्रधान मंत्री आवास/ग्रामीण/ में जो आवास दिये जा रहे हैं उनमें उन लोगों को भी शामिल किया जाये, जिन्होंने 2003 में केवल मरम्मत कार्य में वित्तीय सहायता हेतु आवश्यक संशोधन के कार्य सदन चकी अगले सप्ताह की कार्यवाही में शामिल किया जाये।

*__श्री राजीव सातव (हिंगोली)__ ः महोदया,अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय को जोड़ा जाए:-

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के गुरू महात्मा ज्योतिबा फूले व इस देश की पहली महिला अध्यापिका सावित्रीबाई फूले को भारतरत्न देने के संदर्भ में चर्चा।

ओश्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) ः महोदया, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नांकित दो विषयों को सम्मिलित किया जाएः-

1. महाराष्ट्र राज्य में मुंबई महानगर की लाईफ लाइन कही जाने वाली लोकल रेलगाड़ियों से विगत कुछ महीनों में हजारों लोगों की मृत्यु/घायल होने से एक गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गयी है। लोकल रेलगाड़ियों से होने वाली दुर्घटनाओं पर काबू पाने और उनमें डोर क्लोजर लगाए जाने के लिए समुचित उपाय किए जाने से संबंधित विषय।

2. देश के महानगरों विशेषतः मुम्बई महानगर में रेलवे लाईन के आसपास रेलवे की रिक्त पड़ी भूमि पर बसी झुग्गी-झोपड़ियों के निवासियों को माननीय प्रधानमंत्री जी की वर्ष 2022 तक सभी को पक्के घर उपलब्ध कराए जाने की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराकर उन्हें पानी, विद्युत, सड़क इत्यादि की मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित कराए जाने से संबंधित विषय ।

*श्री रामदास सी. तडस (वर्धा) ः महोदया,कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित महत्वपूर्ण समस्याओं को जोड़ने की कृपा करें -

1. महाराष्ट्र में मराठों की एक बड़ी संख्या है जिसे आरक्षण देने की आवश्यकता है, अतः आग्रह है कि सरकार द्वारा आरक्षण का जो व्यवस्था किया गया है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते हुए अलग से अन्य राज्यों की तरह महाराष्ट्र में मराठा लोगों की आरक्षण देने का विचार किया जाए।

2. भारत सरकार के महत्वकांक्षी स्वदेश दर्शन योजना जो पर्यटन मंत्रालय के अधीन है , के तहत मेरे संसदीय क्षेत्र वर्धा के धार्मिक महत्वपूर्ण क्षेत्र में केलझर तथा गीरड़ दरगाह का सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्यों को करने की आवश्यकता है ।

ओश्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल)ः महोदया, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाएः-

मेरे संसदीय क्षेत्र मावल के अंतर्गत माथेरान हिल स्टेशन, इको सेंसटिव जोन होने से यहाँ के स्थानीय निवासी अपने पुराने मकानों की मरम्मत नहीं कर सकते हैं जिसके कारण वहां के लोग इन पुराने घरों में रहने को मजबूर हैं अतः इस क्षेत्र के निवासियों को अपने मकानों की मरम्मत करने कके अनुमति दिए जाने

ओश्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर)ः महोदया, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाएः-

1. मेरे संसदीय क्षेत्र अकबरपुर के अंतर्गत आने वाली घाटमपुर विधान सभा क्षेत्र में शिक्षा हेतु कोई उपयुक्त साधन न होने के कारण एक केन्द्रीय विद्यालय उक्त क्षेत्र में खोले जाने की महती आवश्यकता है ।

2. मेरे संसदीय क्षेत्र अकबरपुर में पीने के पानी की विकट समस्या है जिसके कारण आम जनमानस को काफी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। पीने के पानी की समस्या को देखते हुए लगभग 500 इंडिया मार्का हैंडपंप लगवाये जाने की महती आवश्यकता है।

*श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) ः महोदया, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ दिया जाएः-

1. गंगा नदी अपनी उद्गम स्थल से निकलकर बिहार राज्य के बड़े भू-भाग के मैदानी इलाकों में बहती है । वर्षों-वर्ष से बह रही गंगा नदी बाढ़ के दिनों में अत्याधिक गाद लेकर बहती है, जिसके कारण बिहार के मैदानी भाग सहित गंगा नदी गाद से भर गइ है । बिहार में गंगा नदी अपनी वास्तविक स्वरूप को खो रही है । गाद की सफाइ हो सके । कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है ।

2. बिहार राज्य के जिला बांका, जमुई, मुंगेर, लक्खीसराय व भागलपुर में फूड-पार्क की स्थापना हेतु कार्य किये जाने की आवश्यकता है ।

ओश्री राजेश रंजन (मधेपुरा) ः महोदया, निम्न विषय को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल किया जाये।

1. पूर्व-मध्य रेलवे के समस्तीपुर मंडल के अंतर्गत वीरपुर से वीहपुर, कुरसैला से बिहारीगंज, बिहारीगंज से सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा से कुशेश्वर स्थान, तथा बिहारीगंज से मुरलीगंज खुर्दा होते हुए भीमनगर तक नई रेल लाईन का निर्माण हेतु कुछ रेल खंड का सर्वे भी हो चुका है, लेकिन अनुतर कारवाई काफी सुस्त गति से चल रही है, इस कार्य को जनहित में युद्ध-स्तर पर करने की आवश्यकता है एवं मधेपुरा का स्लीपर कारखाना जो बन कर तैयार है, लेकिन उत्पादन नहीं हो रहा है। अतः उक्त रेलखंड का कार्य युद्ध-स्तर पर शुरू करने के साथ-साथ मधेपुरा का स्लीपर कारखाना में अविलंब उत्पादन शुरू करने हेतु सख्त नियम बनाया जाये ।

2. मेरे संसदीय क्षेत्र मधेपुरा के अंतर्गत सहरसा के बंगाली मार्केट में सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा सड़क उपरी पुल निर्माण की स्वीकृति काफी समय पहले दी गई थी, लेकिन अभी तक इस सड़क उपरी पुल निर्माण हेतु डी.पी.आर. भी नहीं बना है, जिसके चलते सड़क उपरी पुल निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है । अतः जनहित में सहरसा के बंगाली मार्केट में प्रस्तावित सड़क उपरी पुल निर्माण कार्य अविलंब शुरू करने हेतु सख्त नियम बनाया जाये ।

*DR. KULMANI SAMAL (JAGATSINGHPUR): I hereby request you to include the following subjects in the List of Business for the remaining days commencing from 14 December, 2016:-

1. Adequate provisions are to be made under Coastal Community Development Programme of Sagarmala Project to enhance the economic

condition of the fishermen community in Paradip region of Odisha as this community is a backward scheduled caste community in the State.

2. Need to provide financial assistance to Odisha at the earliest to take measures for qualitative expansion of vocational training facilities in the Government sector including implementation of Odisha Skill Development Project.